कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रंमाक–145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

1) शुगर हाउस में शक्कर को बैंगिंग करना, तौलना, सिलाई करना व ग्रेड के अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाने का कार्य

2) शुगर ग्रेडर खराब होने की स्थिति में अस्थाई शूट से शक्कर को बैंगिंग करना, तौलना, सिलाई करना व ग्रेड के अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाने का कार्य।

3) चूना, सल्फर व अन्य सामग्री अनलोड करना निर्धारित स्थान पर पहुंचाना व अन्य कार्य।

4) शुगर गोडाउन से शक्कर गाडी भरना तथा साफ–सफाई का कार्य।

5) शुगर गोडाउन के फटे बोरों की बैंगिंग करना, तौलना, सिलाई करना व ग्रेड के अनुसार पुनः लॉट पर रखने का कार्य।

वर्ष 2020–21

तकनीकी भाग– 01 व 02

द्वितीय ई–निविदा क्रं. 68610, दिनांक 28 / 10 / 2020

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क– 1000 / –रू.

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

निविदा क्रंमाक/68610/2020–21 **दिनांक 28/10/2020**

कारखाने के पेराई सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए द्वितीय ई– निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1.	कारखानें के शुगर हाउस में ग्रेडर से निकले ग्रेड अनुसार शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाना।
2	सीजन के दौरान जब शुगर ग्रेडर खराब होने की स्थिति में हापर में बनाये गये अस्थाई शूट से शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाना।
3.	कारखाना के लिए प्राप्त होने वाले सामाग्री अनलोड कर निर्धारित स्थान पर पहुंचाना जैसे चूना, सल्फर जो कारखानें के मांग के अनुसार व अन्य कार्य ।
4.	शुगर गोडाउन से शक्कर की गाडी भरना तथा शक्कर गोडाउन की साफ–सफाई रखना, शक्कर लॉट की सुरक्षा इत्यदि।
5.	गोडाउन के फटे बोरे की रिबैगिंग करना (बोरी भरना, तौलना, सीलना तथा पुनः लॉट पर रखना एवं गलाई स्थान पर ले जाना।)

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम : श्री/मेसर्स ....
2. पता : ....

   ....
3. ई–निविदा हेतु इच्छुक फर्मो /निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई–टेण्डर के वेबसाईट में जाकर ई–निविदा हेतु फार्म राशि 1311/– रू. (1000/–रू. + 311/–रू. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) से फार्म Upload किया जाना है।
4. ई–निविदा फार्म दिनांक **23/10/2020 से 28/10/2020** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ प्रातः 10:30 बजे तक शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) **मे अपलोड कर सकते है।**
5. ई–निविदा निदांक **28/10/2020 को दोहर 03:00 बजे** पश्चात् क्रिय समिति/निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
6. ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई.एम.डी. हेतु राशि रूपये 20,000/–(बीस हजार रूपये मात्र) कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रंमाक

31360100006799, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद** के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नही होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

निविदा क्रंमाक/68610/2020–21 **दिनांक 28/10/2020**

कारखाने के पेराई सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए द्वितीय ई– निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1.	कारखानें के शुगर हाउस में ग्रेडर से निकले ग्रेड अनुसार शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाना।
2	सीजन के दौरान जब शुगर ग्रेडर खराब होने की स्थिति में हापर में बनाये गये अस्थाई शूट से शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाना।
3.	कारखाना के लिए प्राप्त होने वाले सामाग्री अनलोड कर निर्धारित स्थान पर पहुंचाना जैसे चूना, सल्फर जो कारखानें के मांग के अनुसार व अन्य कार्य ।
4.	शुगर गोडाउन से शक्कर की गाडी भरना तथा शक्कर गोडाउन की साफ–सफाई रखना, शक्कर लॉट की सुरक्षा इत्यदि।
5.	गोडाउन के फटे बोरे की रिबैगिंग करना (बोरी भरना, तौलना, सीलना तथा पुनः लॉट पर रखना एवं गलाई स्थान पर ले जाना।)

ई–निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार/फर्म निविदा में भाग लेने के लिए http://eproc.cgstate.gov.in/ पर निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है।

1. ठेकेदार/फार्म (V) प्राप्त व्यक्ति फर्म का नाम ....

2. पता ....

....

....

3. मोबाइल नंबर ....

4. ई–मेल आई.डी. ....

5. जी.एस.टी. नंबर ....

(छायाप्रति अपलोड करें)

6. फर्म का पैनकार्ड नंबर ....

(छायाप्रति अपलोड करें)

7. ठेकेदार को कारखाने द्वारा ....

V-फार्म की छायाप्रति अपलोड करें

(अनिवार्य नहीं है)

8. बैंक का नाम ....

9. खाता क्रंमाक ....

10. ई.एम.डी. जमा राशि .... शब्दों में ....

11. आरटीजीएस नंबर एवं बैक ....

12. कारखाने के किस खाते मे जमा ....

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें–

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। ई.एम.डी. संबंधी बिड – एक, तकीनीकी बिड– दो एवं व्यावसायिक बिड– तीन ।
2. निविदाकार को तकनीकी बिड– दो के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नंबर की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. ई–निविदा तकनीकी बिड–2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को अपलोड किया जाना होगा एवं व्यावसायिक बिड–3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. कारखाने से संबंधित कार्य का दर जी.एस.टी रहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना द्वारा जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
5. जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य कर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
6. नियमानुसार टेक्स आदि की कटौती की जावेगी।
7. उक्त कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट शिफ्ट वार प्रत्येक दिन टाईम ऑफिस में संबंधित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
8. शुगर गोदाम में कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदूर को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगें, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
9. श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण, परिचय पत्र (आई. कार्ड), यूनिफार्म/ड्रेस इत्यादि प्रदाय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
10. गोदाम में छल्ली की ऊंचाई प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार होगी इसके लिए स्ट्रेकर प्रदाय किये जाएंगे छल्ली लगाना उत्पादन के आधार पर प्रबंधन के निर्देशानुसार बोरी की उंचाई कम एवं ज्यादा किया जाएगा। प्रत्येक दिवस के कार्य का पूर्ण विवरण गोडाउन कीपर को देना अनिवार्य होगा।
11. लाट लगाने के पूर्व गोडाउन के फर्श पर बाम्बूमेट डालना तथा उसके ऊपर तारपोलिंग डालना। लाट लगाने के पश्चात् लाट पर सही ढंग से तारपोलिंग डालना ताकि वर्षा या नमी से शक्कर बोरी खराब ना हो तथा गोडाउन को साफ सुथरा रखना हमाल ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

12. शक्कर भरने के लिए आई गाड़ी को गोडाउन कीपर द्वारा बताई गई मात्रा एवं निर्देशित किए गए समयानुसार शक्कर की बोरी गिनकर लोड करना।
13. गाड़ी लोड करते समय बोरी में शक्कर कम अथवा ज्यादा की शंका होने पर बोरी को तौलकर भरना।
14. शक्कर किसी भी कारणवश गिली हो जाती है तो गिली बोरी को लोड न करना एवं अलग से लाट लगाना।
15. फर्मो द्वारा कारखाने के आपूर्ति सामाग्रीयों (चूना, सल्फर व अन्य सामाग्रीयां)को प्रबंधन के निर्देशानुसार निर्धारित स्थानों पर खाली कर व्यवस्थित रूप से रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
16. शुगर गोडाउन एव हापर नं. 3 के पीछे से पुराने शक्कर गलाई हेतु चीफ केमिस्ट के निर्देशानुसार ले जाना होगा।
17. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
18. प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने संबंधि पूर्ण अधिकार होगा।
19. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. कारखाना परिसर में धुम्रपान वर्जित होगा।
21. नशे की हालत में किसी भी श्रमिक का कारखाने में प्रवेश वर्जित रहेगा, यदि किसी भी श्रमिक को नशे की हालत में पाया जाता है तो श्रमिक को कार्य से बाहर कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
22. कार्य आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रबंधन के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, अनुबंध नहीं करने की दशा में देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
23. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
24. श्रमिक ठेकेदारों द्वारा किसी भी श्रमिक सुपरवाईजर नियोजित नहीं किये जावेगें। आवश्यकतानुसर मात्र श्रमिक नियोजित किए जावेगें।
25. श्रमिकों को अपने शिफ्ट कार्यरत मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट/चीफ केमिस्ट/चीफ इंजिनियर के निर्देशन में कार्य करना अनिवार्य होगा।
26. श्रमिकों को अपने शिफ्ट में आने वाले श्रमिकों के उपस्थित होने तक कार्य करना अनिवार्य होगा।

27. यदि किसी कारण वश फैक्ट्री बंद रहते है तो इसके द्वारा सप्लाई आदमी का कार्य मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट द्वारा कहीं भी फैक्ट्री में उपयोग किया जा सकता है।
28. यदि आवश्यकता पड़ने पर कास्टीक बायलिंग संबंधित केमिकल/अन्य सामग्री चढ़ाने का कार्य करना अनिवार्य होगा।
29. पक्षकार क्रमांक 02 श्रमिक ठेकेदार को संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के तहत श्रमिक नियोजित हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारी होना अनिवार्य होगा। या कार्य प्राप्त होने पर 15 दिनों में अनुज्ञप्ति (पंजीयन) प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगें।
30. द्वितीय पक्षकार प्रचलित श्रम नियमों कानूनों तथा कारखाना में ठेका श्रमिकों की सेंवाएं प्रदान करने संबंधित समस्त नियमों एवं कानूनों और इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के साथ ही कारखाना प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा।
31. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध के 15 दिवस के भीतर श्रमिक पंजीयक (लाईसेंस) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
32. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में ही कार्य संपन्न करेंगें। ठेका श्रमिकों द्वारा आदेशों के अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने या अवांछनीय गतिविधियों तथा हड़ताल विरोध प्रदर्शन तालाबंदी, कामबंदी इत्यादि में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ठेका श्रमिकों को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। तथा कारखानें के द्वारा मांग किये जाने पर उसके स्थान पर नया ठेका श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।
33. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी ठेका श्रमिक कारखाने द्वारा नियोजित कर्मचारी/ठेका श्रमिक नहीं कहलायेगा। ठेका श्रमिक का नियोक्ता संबंधित श्रमिक ठेकेदार ही रहेगा।
34. श्रमिक ठेकेदार यदि किसी ठेका श्रमिक को कार्य से पृथक करता है तो उसको जारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से निरस्त कर पक्षकार कमांक 01 को लिखित रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की रहेगी।
35. प्रत्येक सीजन की समाप्ति अथवा अनुबंध समाप्ति होने पर संबंधित ठेका श्रमिकों से परिचय पत्र की वापस लेने की जिम्मेदारी पक्ष कमांक 02 की रहेगा। ताकि उक्त परिचय पत्र का किसी प्रकार का दुरूपयोग ना हो पाये।
36. परिचय पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा :–

परिचय पत्र

PHOTO

1. नाम/पिता या पति का नाम..   ....   2. स्थानीय पता..   3. पद/मजदूरी दर...   4. बैंक का नाम व खाता नंबर...   5. ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पता...   6. प्रमुख नियोक्ता का नाम एवं पता...
निर्देशः–   1 जिस व्यक्ति को यह परिचय पत्र जारी किया गय है वह इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।   2 यह परिचय पत्र स्थानांतरण होने/सेवामुक्त/कार्य से पृथक होने पर वापस किया जायेगा।   3 परिचय पत्र की खो जाने ठेकेदार अथवा प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना दी जावें।   4 पुनः कार्ड बनवाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।   5 यह परिचय पत्र अहस्तांतणीय है।

37. पक्षकार क्रमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त ठेका श्रमिक कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त परिचय पत्र गले में अथवा जेब के उपर दृष्टिगोचार स्थान पर अनिवार्य रूप से लगावें।
38. यदि कोई ठेका श्रमिक कार्य छोड़ देता है अथवा संबंधित ठेकेदार उसे कार्य से पृथक कर देता हैं उस स्थिति में उन ठेका श्रमिकों को व्यक्तिगत ईपीएफ खाते में जमा राशि को संबंधित ईपीएफ कार्यालय से भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की ही होगी।
39. पक्षकार क्र. 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों को कारखानें द्वारा निर्धारित मान से पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित ठेकेदार को ही किया जावेगा। संबंधित ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने श्रमिकों को तीन दिवस के भीतर उनके बैंक खातों के माध्यम से कारखाना से प्राप्त पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। पारिश्रमिक भुगतान में चूक करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध पक्षकार क्र. 01 के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं भुगतान व कर जमा की चालान प्रति जमा करना होगा।
40. यदि किसी कारण से द्वितीय पक्षकार कारखाना को ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने में अस्मर्थ रहता है तो एक माह पूर्व प्रथम पक्षकार को लिखित सूचना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत

राशि जब्त करने के अलावा कारखानें को होने वाले क्षति के भरपाई के लिए दावा भी किया जा सकेगा।

41. उभय पक्षों के बीच हुऐ अनुबंध की शर्तों को समस्त ठेका श्रमिकों को अवगत कराना द्वितीय पक्षकार का उत्तर दायित्व होगा।
42. यह अनुबंध पेराई सत्र 2020–21 की समाप्ति तक ही मान्य होगा। किन्तु कारखाना प्रबंधन कार्य की आवश्यकता आधार पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
43. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी तथा ठेका श्रमिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, कार्यानुभव, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, पूर्ण स्थाई पता, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, ब्लड ग्रुप, ठेका श्रमिक के व्यक्तिगत ईपीएफ खाता नं. की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी ठेका श्रमिक के संबंध में चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग, संबंधित थाने से प्राप्तकर प्रथम पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की रहेगी।
44. द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक शाररिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो। तथा श्रम नियमो के अनुसार बाल श्रमिक ना हो।
45. श्रम पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करना एवं श्रम विधि के अनुकूल वांछित दस्तावेज खाखा संधारण करना तथा आवश्यकता अनुसार सक्षम अधिकारियों से उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की होगी।
46. पक्षकार क्र.02 केद्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य समाप्त कर श्रमिक ठेकादार को काली सूची में दर्ज किया जाकर कार्य से पृथक किया जायेगा। तथा उनके ठेका श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अन्य पंजीकृत श्रमिक ठेकादार के माध्यम से कार्य पद लिया जावेगा।

<u>अनुबंध प्रारूप</u>

हम प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उपर दर्शाये गये शर्तों को पढ़कर एवं समझकर अनुबंध पत्र आज दिनांक...को स्थान..में निष्पादित करते है।

प्रथम पक्षकार	**द्वितीय पक्षकार**
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद	श्रमिक ठेकेदार/ठेकेदार फर्म का नाम
हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
नाम/पदनाम..	नाम/पदनाम..

…………………………………………………………………………… पूर्ण पता……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………… **गवाह– 01** नाम………………………………………………………………………… हस्ताक्षर……………………………………………………………… **गवाह–02** नाम………………………………………………………………………… हस्ताक्षर………………………………………………………………	…………………………………………………………………………… पूर्ण पता……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं .... फर्म ....प्रतिनिधि का नाम ....पिता का नाम ....पता .... का निवासी हूँ मैं शपथ पूर्वक कथन करना हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड दिया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रंमाक .... में राशि रूपये .... दिनांक ....को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई.एम.डी. राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–बालोद **ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना** Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in व्यावसायीक भाग–3 ठेका कार्य हेतु प्रस्तावित दर प्रस्तुत करने बाबत्। द्वितीय ई–निविदा क्रं. 68610, दिनांक 28/10/2020			
क्र.	कार्य का विवरण	इकाई दर	कार्य करने के लिए इच्छुक प्रस्तावित दर (कर रहित)
1	कारखानें के शुगर हाउस में ग्रेडर से निकले ग्रेड अनुसार शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाना।	क्विटल	
2	सीजन के दौरान जब शुगर ग्रेडर खराब होने की स्थिति में हापर में बनाये गये अस्थाई शूट से शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छलनी लगाना।	क्विटल	
3	कारखाना के लिए प्राप्त होने वाले सामाग्री अनलोड कर निर्धारित स्थान पर पहुंचाना जैसे चूना, सल्फर जो कारखानें के मांग के अनुसार व अन्य कार्य ।	टन	
4	शुगर गोडाउन से शक्कर की गाडी भरना तथा शक्कर गोडाउन की साफ–सफाई रखना, शक्कर लॉट की सुरक्षा इत्यदि।	क्विटल	
5	गोडाउन के फटे बोरे की रिबैगिंग करना (बोरी भरना, तौलना, सीलना तथा पुनः लॉट पर रखना एवं गलाई स्थान पर ले जाना।)	क्विटल	